

भारत सरकार  
शिक्षा मंत्रालय  
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या- 48  
उत्तर देने की तारीख-25/11/2024  
पंजाब में पीएम-श्री योजना

#### †48. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार द्वारा पंजाब राज्य में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-एसएचआरआई) योजना को लागू करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) पंजाब में इस योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित स्कूलों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार द्वारा इस योजना के लिए पंजाब राज्य को कोई धनराशि आवंटित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना के लिए पंजाब राज्य सरकार को कोई धनराशि जारी की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री जयन्त चौधरी )

(क) और (ख): मंत्रिमंडल ने 7 सितंबर, 2022 को प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना को अनुमोदित किया है। ये स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन करते हैं और समय के साथ अनुकरणीय स्कूल के रूप में उभरते हैं, और साथ ही, पड़ोस के अन्य स्कूलों को नेतृत्व भी प्रदान करते हैं। वे अपने-अपने क्षेत्रों में एक समतामूलक, समावेशी और आनंदमय स्कूली वातावरण में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने में नेतृत्व प्रदान करते हैं, जो बच्चों की विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं और विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का छाल रखता है और उन्हें एनईपी 2020 के वृष्टिकोण के अनुसार अपनी स्वयं की अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाता है। इस योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र /स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से

मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ करके 14500 से अधिक पीएम-श्री स्कूल स्थापित करने का प्रावधान है।

पंजाब राज्य में पीएम-श्री योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा 209.46 करोड़ रुपये के समग्र बजट की सिफारिश की गई है।

(ग): पंजाब से पीएम-श्री स्कूलों के रूप में कुल 233 स्कूलों का चयन किया गया है, जिनमें 59 माध्यमिक और 174 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल शामिल हैं।

(घ) & (ङ): परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पीएम-श्री योजना के तहत अनुमोदित कार्यकलाप को शुरू करने के लिए 209.46 करोड़ रुपये का समग्र बजट आवंटित किया गया है, जिसका ब्लौरा नीचे दिया गया है:

आवंटित निधि (करोड़ में)				
गैर आवर्ती	आवर्ती	कुल	केंद्र का अंश	राज्य का अंश
118.89	90.57	209.46	125.68	83.78

व्यय की गति, समतुल्य राज्य अंश की प्राप्ति, लेखापरीक्षित लेखाओं, संचयी राज्य अंश का विवरण, बकाया अग्रिमों विवरण और अद्यतन व्यय विवरण के आधार पर प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य को निधियां जारी की जाती है।

\*\*\*\*\*